भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3922

25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात की खेप को रोकना

3922. श्री गौरव गोगोई:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय बंदरगाहों पर इस्पात की खेपों को रोके जाने की रिपोर्टों की जानकारी है, जो विशेष रूप से जापान से आने वाले शिपमेंट को प्रभावित कर रही हैं और यदि हां, तो इस रुकावट के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन इस्पात खेपों की निकासी में तेजी लाने और जापान के साथ किसी भी व्यापार व्यवधान को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन बंदरगाह रुकावटों ने घरेलू उद्योगों, विशेष रूप से इस्पात निर्माताओं को किस तरह प्रभावित किया है और इसके परिणामस्वरूप कितना वित्तीय नुकसान होने का अनुमान है;

(घ) ऐसी समस्याओं को दोबारा होने से रोकने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बंदरगाहों का अधिक सुचारू और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सरकार को कब तक इस मुद्दे के पूरी तरह से हल हो जाने की उम्मीद है और भविष्य में इसी तरह के व्यापार व्यवधानों से बचने के लिए क्या दीर्घकालिक समाधान लागू किए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ङ): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), इस्पात मंत्रालय के समन्वय में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है कि भारत में प्रासंगिक मानकों के अनुरूप केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात का ही उत्पादन हो और बाहर से आयात किया जाए। इस दिशा में, 151 बीआईएस मानकों को अधिसूचित किया गया है और इस्पात मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के अंतर्गत शामिल किया गया है जो यह अधिदेशित करता है कि स्वदेशी रूप से उत्पादित तथा आयातित दोनों प्रकार के इस्पात प्रासंगिक बीआईएस मानकों के अनुरूप हैं तथा यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं को केवल गुणवत्तापूर्ण इस्पात ही उपलब्ध कराया जाए। बाहर से इस्पात का कोई भी आयात केवल बीआईएस लाइसेंस के साथ किया जा

जारी...2/-

सकता है। हालांकि, कुछ इस्पात ग्रेड जो अभी तक बीआईएस मानकों के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें इस्पात मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करके आयात किया जा सकता है।

अगले छह महीनों के लिए आयात की जाने वाली इच्छित मात्रा के आधार पर अग्रिम एनओसी जारी की जाती है। आयातकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। जापानी उत्पादकों सहित आयातकों से अग्रिम अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए सभी आवेदनों पर कार्रवाई की जाती है और निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमित आधार पर निर्णय लिया जाता है।

*****